GOODYEAR

गुडईयर इंडिया लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः मथुरा रोड, बल्लभगढ़ (ज़िला फरीदाबाद), हरियाणा – 121 004
कॉरपोरेट कार्यालयः प्रथम तल, ए. बी. डबल्यू एलिगेन्स टावर, प्लॉट नं.–8,
कमर्शियल सेन्टर जसोला – 110 025, नई दिल्ली, भारत
सी. आइ. एन.: L25111HR1961PLC008578
ई–मेल.: goodyearindia_investorcell@goodyear.com
वेबसाईट.: www.goodyear.co.in

आईईपीएफ सस्पेंस खाते में शेयर अंतरण के लिए समय सीमा विस्तार हेतु सार्वजनिक सूचना

यह अधिसूचना हमारी पिछली अधिसूचना दिनांक 18 नवंबर, 2016, जो कि 19 नवंबर, 2016 को प्रकाशित* हुई थी *(नीचे दी गई सूचना देखें)* / जिसमें कंपनी अधिनियम 1956 / 2013 के अनुच्छेद 124 तथा 125 के साथ पढ़ित विनिद्यानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि नियम (आईईपीएफ नियम) जो 07 सितंबर, 2016 को लागू हुआ था, के अनुपालनार्थ गुडईयर इंडिया लिमिटेड के सभी सदस्यों को अनुरोध किया गया कि निम्नलिखित शेयर, जिनके लाभांश का लगातार पिछले 7 सालों से नकदीकरण नहीं किया है, नियम लागू होने की तारीख से 3 महीने की अवधि समाप्त होने पर आईईपीएफ सस्पेंस खाते में अंतरित कर दिए जाएंगे। अतः उन सभी सदस्यों को अनुरोध किया गया था जिन्होंने लगातार पिछले 7 सालों से अपने संबंधित लाभांश वारंट का नकदीकरण नहीं कराया है, अपने संबंधित लाभांश वारंटों का नकदीकरण 6 दिसंबर, 2016 तक करा लें।

बहरहाल, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय (एम.सी.ए.) ने अपने दिनांक 7 दिसंबर, 2016 के सामान्य परिपत्र सं 15 / 2016 के द्वारा बताया है कि संशोधित नियत तारीख तथा आईईपीएफ सस्पेंस खाते के शेयर अंतरण की संशोधित प्रक्रिया यथासनय सूचित कर दी जाएगी।

क्योंकि आईईपीएफ सस्पेंस खाते में शेयर अंतरण की देय तारीख संशोधित की जानी है, इसलिए कंपनी अपने सदस्यों के सर्वोत्तम हितों में लाभांश वारंट का नकदीकरण कराने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 5 जनवरी, 2017 अथवा शेयर अंतरण की देय तारीख से 30 दिन पूर्व जो कि एम.सी.ए. द्वारा बाद में अधिसूचित की जाएगी, जो भी विलंब (जैसा भी मामला हो) से हो, कर दी है। माननीय सदस्यों से एक बार फिर से अनुरोध किया जाता है कि वे कृपया अपडेटिड लिंक https://www.goodyear.co.in/about-us/investor-relations देखें जिसमें उन शेयरों का उल्लेख किया गया है जिनका लाभांश वारंट लगातार पिछले 7 सालों से नकदीकरण नहीं कराया है तथा हमारे रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट (मैसर्ज स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड) जिसका पता नीचे दिए गई अधिसूचना में उल्लेखित है, आवश्यक ब्यौरा (अर्थात फोलियो नं, डीपी–आईडी (यदि हो), देकर अपने लाभांश वारंटो का नकदीकरण उक्त बढ़ाई गई तारीख तक करा लें।

निम्नलिखित शेयर चाहे वे फिजिकल / डीमैट मोड (जैसा भी मामला हो) जिनके लाभांश वारंट का उक्त बढ़ाई गई तारीख तक नकदीकरण नहीं हुआ तो कंपनी एमसीए द्वारा अधिसूचित संशोधित प्रक्रिया अपनाएगी और संशोधित तारीख तक आईईपीएफ सस्पेंस खाते में शेयर अंतरित कर देगी।

सदस्यों को एक बार फिर से सचेत किया जाता है कि आईईपीएफ सस्पेंस खाते में शेयर अंतरित किए जाने के बाद कंपनी के प्रति किसी प्रकार का दावा नहीं किया जा सकेगा क्योंकि सदस्यों को अधिकार होगा कि आईईपीएफ नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आईईपीएफ सस्पेंस खाते से इन शेयरों का दावा कर सकें।

सदस्य किसी प्रकार के स्पश्टीकरण अथवा किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए अधोहस्ताक्षरी से संपर्क कर सकते हैं।

बोर्ड के आदेश से
कृते गुडईयर इंडिया लिमिटेड
Sd/-
पंकज गुप्ता
(कंपनी सचिव)

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 15 दिसंबर, 2016

ध्यान दें: सदस्यों को सलाह दी जाती है कि आईईपीएफ नियमों की अद्यतन जानकारी के लिए समय समय पर कंपनी की वेबसाइट देखते रहें।

GOODYEAR

गुडईयर इंडिया लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालयः मथुरा रोड, बल्लभगढ़ (ज़िला फरीदाबाद), हरियाणा – 121 004
कॉरपोरेट कार्यालयः प्रथम तल, ए. बी. डबल्यू एलिगेन्स टावर, प्लॉट नं.–8,
कमर्शियल सेन्टर जसोला – 110 025, नई दिल्ली, भारत
सी. आइ. एन.: L25111HR1961PLC008578
ई–मेल.: goodyearindia_investorcell@goodyear.com
वेबसाईट.: www.goodyear.co.in

*गुडईयर इंडिया लिमिटेड के सभी शेयरधारकों के ध्यानाकर्षण हेतु सार्वजनिक सूचना

7 सितंबर, 2016 से लागू आईईपीएफ नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 /2013 के अनुसार लागू प्रावधानों के अनुपालनार्थ नीचे दिए गए शेयर, जिनके संबंध में लगातार पिछले 7 सालों से लाभांष का दावा नहीं किया गया है, नियम लागू होने की तारीख से 3 महीने की अवधि समाप्ति होने पर आईईपीएफ सस्पेंस खाते में हस्तांतरित कर दिए जाएंगे।

सभी सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया जाता है कि ऐसे सभी शेयर, जिनके लिए 31 दिसंबर, 2008 की समाप्ति से लगातार पिछले 7 सालों तक लाभांष हेतु दावा नहीं किया गया है, तीन महीने की अवधि समाप्त होने पर अर्थात 6 दिसंबर, 2016 के बाद आईईपीएफ सस्पेंस खाते में हस्तांतरण कर दिए जाएंगे। सदस्यों से अनुरोध है कि वे बेदावा लाभांष के विवरण तथा हस्तांतरण किए जाने वाले शेयरों के ब्यौरे के सत्यापन हेतु वेबलिंक https://www.goodyear.co.in/about-us/investor-relations देखें। कंपनी ने उन सभी शेयरधारकों को अलग से सूचना भी भेज दी है जिनके शेयर आईईपीएफ सस्पेंस खाते में हस्तांतरित किए जाने हैं।

उक्त को ध्यान में रखते हुए, कंपनी एतद्द्वारा अपने सदस्यों से अनुरोध करती है कि जिन्होंने अभी तक लगातार पिछले सात सालों से अपने लाभांष वारंट दावा नहीं किए हैं, वे कृपया अपना आवश्यक ब्यौरा (अर्थात फोलियो नं, डीपी – आईडी (यदि हो), वर्तमान पता तथा संपर्क नंबर) जल्दी से जल्दी अर्थात 6 दिसंबर, 2016 से पूर्व कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट (अर्थात मैसर्ज स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड) को नीचे दिए गए पते पर भेज दें:

रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट :
मैसर्ज स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड
(सीआईएन : U74899DL1995PTC071324) (यूनिट : गुडईयर इंडिया लिमिटेड)
डी–153 / ए, पहली मंजिल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया,
फेज–1, नई दिल्ली – 110 020, भारत
ई–मेल : info@skyindia.com
फोन नं: +9111-26812682, 83, +9111-64732681

वे सदस्य जिनके शेयर फिजिकल फार्म में हैं और आईईपीएफ सस्पेंस खाते में हस्तांतरित किए जाने हैं, कृपया नोट कर लें कि आईईपीएफ नियमों के अनुपालनार्थ, कंपनी, 6 दिसंबर, 2016 के बाद, मूल शेयर प्रमाणपत्र के स्थान पर डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करेगी। इस प्रकार के प्रमाणपत्र जारी किए जाने पर सदस्यों के नाम से पंजीकृत मूल शेयर प्रमाणपत्र अपने आप रद्द हो जाएंगे और गैर–परक्राम्य माने जाएंगे। जिन मामलों में शेयर डीमैट मोड में होंगे, डिपाजिटरी पार्टिसिपेंट की मदद से आईईपीएफ के डीमैट खाते में हस्तांतरित किए जाएंगे।

सदस्यों को सचेत किया जाता है कि आईईपीएफ सस्पेंस खाते में शेयरों के हस्तांतरण के बाद वे कंपनी से किसी प्रकार का दावा पेश नहीं कर सकेंगे हालांकि सदस्यों को आईईपीएफ नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आईईपीएफ सस्पेंस खाते से इन शेयरों के दावे का अधिकार होगा।

सदस्य किसी पप्रकार के स्पष्टीकरण अथवा अन्य अपेक्षित जानकारी के लिए अधोहस्ताक्षरी से संपर्क कर सकते हैं।

बोर्ड के आदेश से
कृते गुडईयर इंडिया लिमिटेड
Sd/-
पंकज गुप्ता
(कंपनी सचिव)

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 18 नवंबर, 2016

जनसत्ता, 16 दिसंबर, 2016